न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/456

रामचरण आत्मज ऊदा जी जाति चमार निवासी ग्राम नोताडा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामबाबू मालव, राजकीय अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 11.04.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.07.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम, 1970 के नियम 14 (4) सपठित राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 संशोधित अधिनियम, 1957 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी श्री रामचरण आत्मज उद्धा जाति चमार निवासी नोताडा को दिनांक 19.06.1989 को जरिये मिसल नं0 135 के द्वारा ग्राम नोताडा तहसील दीगोद की आराजी खसरा नम्बर 108 रकबा 1.00 हैक्टर भूमि आवंटित की गई थी । उक्त आवंटन कीमतन किया गया था परन्तु आवंटी द्वारा आवंटित राशि निर्धारित समय पर जमा नहीं करवाई गई । इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया जाकर आवंटी द्वारा आवंटन की राशि जमा कराये बिना ही गैर खातेदारी की अवस्था में उक्त भूमि श्री हेमराज उर्फ पप्पू आत्मज श्री बाबूलाल जाति गुर्जर निवासी नोताडा को दिनांक 05.05.2008 में बेचान कर कब्जा संभला दिया है । इस प्रकार उक्त आवंटित भूमि पर आज आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो का उल्लंघन किये जाने से उक्त आवंटन निरस्तनीय है ।

3. अतः आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 19.06.1989 निरस्त फरमाया जाकर उक्त भूमि राजकीय खाते में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13.07.2017 के द्वारा प्रार्थी तहसीलदार, दीगोद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 19.06.1989 निरस्त कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.07.2017 से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अपीलान्ट/आवंटी ने आवंटन की कीमतन राशि जमा करवा दी है और उक्त भूमि आवंटी के नाम गैर खातेदारी में दर्ज कर दी गई थी । अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी को किसी भी अन्य व्यक्ति को बेचान नहीं किया है और न ही कब्जा हस्तान्तरण किया है । अधीनस्थ न्यायालय को आवंटन आदेश के सम्बन्ध में श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है कारण कि उक्त आवंटन राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के अन्तर्गत किया गया है जिसके सम्बन्ध में प्रथमतः केवल मात्र माननयी न्यायालय को ही श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.07.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि आवंटी को उक्त वादग्रस्त आराजी का आवंटन कीमतन किया गया था परन्तु आवंटी द्वारा आवंटन की राशि निर्धारित समय पर जमा नहीं करवाई गई और बाबजूद उसके उक्त भूमि आवंटी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को बेचान कर दी है । इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटी के पक्ष में किये आवंटन आदेश को निरस्त किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.07.2017 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया, अपील मीमो का अवलोकन किया एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया । अप्रार्थी अपीलान्ट श्री रामचरण आत्मज उद्धा जाति चमार निवासी नोताडा को दिनांक 19.06.1989 को जरिये मिसल नं0 135 के द्वारा ग्राम नोताडा तहसील दीगोद की आराजी खसरा नम्बर 108 रकबा 1.00 हैक्टर भूमि आवंटित की गई थी ।

10. अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटी द्वारा आवंटन की राशि निर्धारित समय पर नहीं किये जाने से आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त करने का आदेश पारित किया चूँकि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्य रूप से कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में उसे सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया । ऐसी स्थिति में हम प्रस्तुत प्रकरण को अपीलान्ट को